आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

....से

............सं0.............

............सन् 20

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13.5.17	**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर।** विविध वाद सं0 197/2017 दफा 144 दं0प्र0सं0 रितेश तिवारी एवं अन्य ... ... प्रथम पक्ष – ब ना म – राजेश भुईयां ... ... द्वितीय पक्ष –: आ दे श :– अंचल अधिकारी, पाटन के जांच प्रतिवेदन के आलोक में यह प्रक्रिया दिनांक 16.03.2017 को ग्राम बैदाकला, थाना पाटन, जिला पलामू के खाता 26, प्लौट 116, 119, रकबा 13 डिसमिल भूमि जिसकी चौहदी नोटीस में दर्ज है पर कायम की गयी तथा दोनों पक्षों से कारणपृच्छा की मांग की गयी। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कारणपृच्छा एवं लिखित बहस तथा कागजात का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष ने कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया है। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रक्रिया की भूमि भूतपूर्व जमीदार भुनेश्वर तिवारी की बकाश्त भूमि थी। इस बकाश्त भूमि को भूतपूर्व जमींदार ने विगत् सर्वे के पूर्व मौखिक रूप से नौकराना (हल जोतने आदि के लिए) के रूप में बिना	3/50

मालगुजारी के केदल भुईयां पिता बैद्यनाथ भुईयां को दे दिया था। जब तक केदल भुईयां जीवित रहा भूमि के दखल कब्जा में रहा तथा खाता 26, प्लौट 116 एवं 119 का विगत् सर्वे में नाम दर्ज हुआ। वर्ष 1930 में केदल भुईयां का अपने पीछे एक पुत्री सोमरी एवं विधवा रजकलिया को छोड़कर निधन हो गया। सोमरी की शादी हो गयी तथा ससुराल में चली गयी। वर्ष 1935 मं मसो0 रजकलिया का भी निधन हो गया। रजकलिया के मरणोपरांत भूमि स्वतः भूतपूर्व जमींदार के दखल कब्जा में चली आयी। चूँकि वर्ष 1930 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व ही केदल भुईयां की मृत्यु हो गयी थी, इसलिए उसकी पुत्री सोमरी को प्रक्रिया की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त नही हुई। भूतपूर्व जमींदार भुनेश्वर तिवारी का वर्ष 1950 में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी विधवा बाल कुवंर उत्तराधिकार द्वारा दखल कब्जा में आयी तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद खाता 26 की भूमि का जमींदारी रिटर्न दाखिल किया। जमींदारी रिटर्न एवं दखल कब्जा के आधार पर ए0आर0 केस नं0 1063/62–63 से माल निर्धारण हुआ। तत्पश्चात् मसो0 बाल कुवंर ने बालेश्वर मोची से प्लौट 116 एवं 119, रकबा 13 डिसमिल का प्लौट 622 वं 623 से बदलैन किया। बालेश्वर मोची ने बाद में प्लौट 116 एवं 119, रकबा 13 डिसमिल का नन्द कुमार तिवारी एवं राज कुमार तिवारी से प्लौट 259 रकबा 17 डिसमिल से बदलैन किया, जिसके आधार पर दाखिल खारीज वाद सं0 234/61–62 से नन्द कुमार एवं राज कुमार तिवारी के नाम से दाखिल खारीज हुआ। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्लौट नं0 116 एवं 119 पर प्रथम पक्ष का आवासीय मकान है, इसके बाद भी इस प्रक्रिया कायम की गयी है। प्रथम पक्ष का दावा है कि राजेश भुईया ने अपने को केदल भुईयां के परिवार का सदस्य

...ने का दावा करते हुए यह वाद लाया है जबकि राजेश भुईंया का केदल भुईंया से कोई संबंध नहीं है बल्कि जबरन प्रथम पक्ष को प्रक्रिया की भूमि से बेदखल करने पर अमादा है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावा के समर्थन में ग्राम बैदाकला [illegible] (उ०आर०) केस नं० 1063/62–63 में पारित आदेश, [illegible] एल. एन रॉल, मालगुजारी रसीद, जमींदारी रिटर्न, विविध वाद सं० 2/08–09 में अंचल अधिकारी, पाटन द्वारा पारित आदेश एवं बदलैन का कागजात की छायापति (सभी कागजात की छायाप्रति) दाखिल किया है।

यह प्रक्रिया ग्राम वैदाकला के खाता नं0 26, प्लौट 116, 119, रकबा 13 डिसमिल भूमि पर कायम की गयी है। प्रथम पक्ष द्वारा प्लौटवारी रकबा एवं प्लौटवारी चौहदी नहीं दिया गया है, जिससे विवादी भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/3/12

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर मेदिनीनगर।

13/3/12

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर मेदिनीनगर।